



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp



Certificate No. : IN-UP67113026518773V
Certificate Issued Date : 22-Jul-2023 03:31 PM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14527504/ DHANAURA/ UP-JPN
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1452750429401924661498V
Purchased by : SHREE EDUCATIONAL AND WELFARE TRUST AMROHA
Description of Document : Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description : Not Applicable
Consideration Price (Rs.) :
First Party : SHREE EDUCATIONAL AND WELFARE TRUST AMROHA
Second Party : Not Applicable
Stamp Duty Paid By : SHREE EDUCATIONAL AND WELFARE TRUST AMROHA
Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
 (One Hundred only)



Please write or type below this line

शपथ -पत्र

मैं हनुमन्त कुमार अध्यक्ष एवं जयदेव सिंह सचिव, श्री एडूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट, पता हाउस नं० 81, अमरोहा ग्रीन जिला अमरोहा उत्तर प्रदेश शपथपूर्वक निम्नवत बयान करते है -

यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा श्री एडूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट पता हाउस नं० 81, अमरोहा ग्रीन जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश नाम डिप्लोमा स्तरीय फार्मसी शिक्षण संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
 यह कि हमारी सोसाइटी/ ट्रस्ट के श्री एडूकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट पता हाउस नं० 81, अमरोहा ग्रीन जिला अमरोहा में गाटा संख्या 287 रकबा 1.019 हेक्टेयर कुल रकबा 1.019 हेक्टेयर भूमि है।
 यह है कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।




Secretary
 Shree Educational & Welfare Trust
 Amroha, (U.P)

Chairman
 Shree Educational & Welfare Trust
 Amroha (U.P.)


Statutory Alert:

- The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.stokstamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stork Helpline. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
- The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
- In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

4. यह कि, उपरोक्त पते पर ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 287 रकबा 1.019 हेक्टेयर कुल रकबा 1.019 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय फार्मसी शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ ट्रस्ट की बैठक दिनांक 28/10/2019 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा स्तरीय फार्मसी शिक्षण संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर केवल उपरोक्त नाम की डिप्लोमा स्तरीय फार्मसी शिक्षण संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रमों एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी कौंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/ परिषद द्वारा निर्गत निर्देशो / आदेशो का भली-भांति पालन करूंगा। यदि मेरी संस्था में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकीय अनुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।




Secretary
Shree Educational & Welfare Trust
 ह०.संवि.
Amroha, (U.P)


Chairman
Shree Educational & Welfare Trust
 ह०.Amroha (U.P.)

ATTESTED

ROHITASH SINGH
 Advocate/Notary
 Govt. of India Reg. No. 13371
 Teh. Shamaurah Dist. Amroha